



2026:AHC: 170622-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 9965/2025

फरीद अहमद और 16 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अजय शंकर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : देवर्षि कुमार राय, आलोक सिंह, शासकीय अधिवक्ता,
रमेन्द्र प्रताप सिंह

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की मांग करते हुए दाखिल की गई है:-

"(i) थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र में भा.द.सं. की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0442 वर्ष 2025 के रूप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.05.2025 (अनुलग्नक संख्या 1) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ii) थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र में भा.द.सं. की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0442 वर्ष 2025 के रूप में दर्ज एफ.आई.आर. दिनांक 02.05.2025 के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 को याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कि आदेश दिनांक 23.04.2026 के अनुपालन में, संबंधित पक्षकारों ने संबंधित सी.जे.एम. के समक्ष एक समझौता विलेख दाखिल किया है और संबंधित सी.जे.एम. ने पक्षकारों की उपस्थिति में उक्त समझौता विलेख को सत्यापित किया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित पक्षकार उक्त समझौता विलेख दिनांक 30.04.2026 में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

3. चूंकि इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त समझौता विलेख की सत्यापन रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों के दौरान समझौता विलेख दिनांक 30.04.2026 की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि संबंधित पक्षकारों के बीच सभी विवाद पहले ही सुलझ चुके हैं और समझौता विलेख को संबंधित सी.जे.एम. द्वारा सत्यापित भी कर दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.05.2025 रद्द किए जाने योग्य है।

5. राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बताए गए समझौते के तथ्यों का विवाद नहीं किया है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय शंकर, प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिंह के ब्रीफ होल्डर विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार, राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधिवत प्रदान किए गए समझौता विलेख दिनांक 30.04.2026 का परिशीलन किया है।

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए., प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, समझौता विलेख दिनांक 30.04.2026 और संबंधित पक्षकारों द्वारा दिए गए इस बयान पर विचार करते हुए कि वे उक्त समझौता विलेख के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ताओं को विचारण पर रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. उपर्युक्त तथ्यों के साथ-साथ **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2012) 10 एस.सी.सी. 303** के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त हैं।

10. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

11. थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र में भा.द.सं. की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0442 वर्ष 2025 के संबंध में आक्षेपित एफ.आई.आर. दिनांक 02.05.2025 को सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ एतद्वारा रद्द किया जाता है।

13 अगस्त, 2026

सौरभ

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)